

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-Urban) के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति" State Level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC) हेतु दिनांक 25/10/2016 को आहूत तृतीय बैठक की कार्यवाही।

बैठक की उपस्थिति :-

- (i) मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार -सह- अध्यक्ष, SLSMC।
- (ii) अपर मुख्य सचिव, योजना -सह- वित्त विभाग।
- (iii) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
- (iv) प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
- (v) निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय।
- (vi) संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।

कार्यवाही:-

सर्व प्रथम मुख्य सचिव- सह -अध्यक्ष के द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय को दिया गया। निदेशक द्वारा विषय प्रवेश कराते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दिया गया। तत्पश्चात् सदस्यगण द्वारा बैठक की कार्यवाही पर विस्तार से बिन्दुवार विमर्श किया गया। समिति द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न निर्णय लिये गए:-

1. गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टी की गयी।
2. वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुमोदित निकायवार कुल 20239 आवास के विरुद्ध 12500 अयोग्य लाभुकों की सूची के साथ सुयोग्य लाभुकों का नाम पत्रांक 1235 दिनांक 08/09/2016 से स्वीकृति हेतु GoI को भेजा गया था, परन्तु भारत सरकार का अर्द्ध सरकारी पत्रांक N-11011/54/2015/HFA-III (FTS 14467) दिनांक 7 Oct' 16 द्वारा इसे अस्वीकृत करते हुए सुझाव दिया गया कि " **The state Govt. of Jharkhand may downsize the approved projects by the number of beneficiaries not found eligible and consider new projects for the new beneficiaries now found for replacing the ineligible beneficiaries of the earlier approved projects.**"

उक्त के आलोक में मिशन के चौथे घटक अंतर्गत परिवर्तित लाभुकों के आधार पर राज्य के 36 शहरी स्थानीय निकायों के कुल 12814 DUs निर्माण हेतु DPR तैयार किया गया है।

उपरोक्त कुल 12814 आवासों के निर्माण में केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभुकों के अंशदान की राशि निम्नवत् होगी:-

No. of Dwelling Units	: 12814 Units
Central Assistance	: Rs. 19221.50 Lakh
State Share	: Rs. 9610.50 Lakh
Beneficiary Share	: Rs. 17567.99 Lakh
Total	Rs. 46399.49 Lakhs

5868
25/10/16

25. 2016

25. 2016

25. 2016

भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7C) पर वांछित सूचना के साथ-साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) भारत सरकार (CSMC) को उपलब्ध कराए जाने पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

3. मिशन का चौथा घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" हेतु एकल आवासीय निर्माण संरचना एवं प्राक्कलित राशि पर राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) की तृतीय बैठक की कार्यवाही पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

क

क

क

क

सरकार के मुख्य सचिव।

15.10.2016

ज्ञापांक सं० : 7/न०.प्र०.नि०/PMAY(HFA)/01/2015...5868

दिनांक: 25.10.2016

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के प्रधान आस सचिव/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आस सचिव/ बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क

25.10.16
(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

क